

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प.4(ई) (1)(6) नियमितिकरण/अलेसे-III/6399

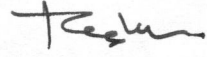
दिनांक :- 21/12-2020

शुद्धि पत्र

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के अंतर्गत कनि. लेखाकार संवर्ग में कार्यरत परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा निर्धारित परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके वेतन नियमितिकरण/स्थाईकरण आदेशों में निम्न प्रकार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

1. विभागीय आदेश क्रमांक प.4(1) (6) नियमितिकरण/अलेसे-III/4827 दिनांक 09.12.2019 आदेश सं० 578/19-20 दिनांक 09.12.2019 क्रम सं० 56 पर अंकित नाम चन्द्र डागा के स्थान पर चन्द्रा डागा पढ़ा जावे।

2. विभागीय आदेश क्र पं. 4/ई/(1) (6) नियमितिकरण/अलेसे-III/4827 दिनांक 09.12.2019 आदेश सं. 578/19-20 दिनांक 09.12.2019 के क्रम सं. 57 पर अंकित नाम तृप्ति हारित के स्थान पर तृप्ति हरित पढ़ा जावें।

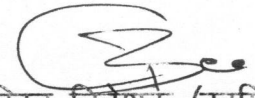

(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक :- प.4(ई) (1) (6) नियमितिकरण/अलेसे-III/6399

दिनांक :- 21/12-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)